web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार, 05 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 157

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

अनियंत्रित ट्रक पलटने से दो की मौत, एक घायल

प्रयागराज (आरएनएस)। नवाबगंज थाना क्षेत्र में तिवारीपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह हाईवे से एक अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक गंगापार अभिषेक कुमार अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान के बारा जिले के नाहरगढ़ निवासी पप्पू नागर (40), चेतन (35) एवं लाखन एक ट्रक में कोटा स्थित एक आयल कम्पनी से सलोनी तेल लोड करके रांची के लिए निकले थे। आज सुबह नवाबगंज के तिवारीपुर गांव में हाईवे के ओवर ब्रिज से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और नीचे जमीन पर गिर गया। हादसे में ट्रक चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को ट्रक से बाहर निकलवाने के बाद उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया। चिकित्सक ने पप्पू नागर और चेतन को मृत घोषित कर दिया तथा गम्भीर रूप से घायल लाखन को उपचार के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय भेज दिया।

रेत माफिया केस में बंद चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के सीने में दर्द, अस्पताल में भर्ती

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कपूरथला जेल से अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल (जीएनडीएच) लाया गया है। जहां उन्हें उपचार के बाद वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जीएनडीएच के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के डी सिंह ने बताया कि भूपिंदर सिंह हनी को हृदय संबंधी किसी समस्या के साथ अस्पताल लाया गया था। उन्होंने कहा, हमने इकोकार्डियोग्राफी की थी और उसी के अनुसार दवा की सलाह दी थी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित अवैध रेत खनन मामले में हनी के आवास पर छापेमारी की थी और लगभग 10 करोड़ रुपये नकद, सोना और एक रोलेक्स घड़ी सहित अन्य बरामद किए थे। उधर, चिकित्सा उपचार के बाद हनी को कपूरथला जेल वापस भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रविवार को हनी को इलाज के लिए कपूरथला सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसे अमृतसर में कार्डियक चेकअप कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद उसे यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गला घोंट कर जीजा ने साली को कुएं में फेंका, पुलिस ने दो दिन बाद जिंदा निकाला

अलवर (आरएनएस)। राजस्थान में अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा कॉलेज जाने के बाद लापता हुई जिसे दो दिन बाद आकाशवाणी के पास एक कुएं से घायल अवस्था में बरामद किया है। यह छात्रा दो मार्च को घर से कॉलेज जाने के बाद अचानक लापता हो गई थी। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अलवर शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दो मार्च से लापता बालिका को ढूंढने में पुलिस लगातार लगी हुई थी। उस बालिका को कोतवाली पुलिस की स्पेशल टीम ने कुँए से सही सलामत ढूंढ कर बाहर निकाला। स्पेशल टीम ने तत्परता दिखाते हुए बालिका को कुएं से बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और ए एसआई विजेंद्र सिंह को जांच सौंपी गई। सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद भी यह मालूम चला कि यह लडक़ी अपने जीजा के साथ जाती हुई दिखाई दी है। पुलिस ने जीजा को पकडक़र पूछताछ की तो उसने बताया उसने गला घोट कर कुएं में फेंका है। एनडीआरएफ और एफएसएल टीम की सहायता से मंगल विहार स्थित नगर विकास न्यास के खाली प्लॉट में बने कुएं से कल देर रात को लडक़ी को जिंदा निकाला गया। लडक़ी की सांसे चल रही है। अभी जिंदा है। इस संबंध में आरोपी जीजा को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में उसके जीजा ने बताया कि उसने पहले उसका गला घोंटा फिर उसे कुएं में धक्का दे दिया उसका इरादा इसकी हत्या करने का था।

ऑपरेशन गंगा : यूक्रेन से अभी तक 10800 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी, वायुसेना ने भी संभाला मोर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। रूस की ओर से हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से करीब 10,800 लोगों को वापस ला लिया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष उड़ानों से कम से कम 10,800 भारतीयों को वापस लाया गया है। भारतीय वायु सेना के तीन सी-17 विमानों और 14 यात्री विमानों के जरिए निकासी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस बीच भारतीय वायु सेना ढ़ढरु-76 रणनीतिक लिफ्ट विमान को स्टैंडबाय पर रखा है। यह विमान जरूरत पडऩे पर मास्को के लिए उड़ान भरेगा। इस विमान से उन लोगों लाया जाएगा जिन रूस ने यूक्रेन से निकालेगा। जैसे ही लोगों को मास्को पहुंचाया जाएगा वैसे ही यह विमान मास्को के लिए उड़ान भरेगा।

सरकार के अनुसार, सी-17 विमान

में 630 यात्री सवार थे, जबकि नागरिक उड़ानों ने 9,364 भारतीय नागरिकों को निकाला। आईएएफ की कुल सात उड़ानों ने 1,428 भारतीय नागरिकों को वापस लाया है और यूक्रेन को 9.7 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। शुक्रवार को, नागरिक उड़ानों में बुखारेस्ट (रोमानिया) से 4, कोसिसे (स्लोवाकिया से 2), बुडापेस्ट (हंगरी) से 4, रेजजो (पोलैंड) से 3 विमान भारत पहुंचे। वहीं, भारतीय वायु सेना ने बुखारेस्ट से 2 और बुडापेस्ट से एक उड़ानें भरीं।

शनिवार को, 11 विशेष उड़ानों के जरिए 2200 से अधिक भारतीयों को वापस आने की उम्मीद है, जिसमें से 10 नई दिल्ली में और एक मुंबई में उतरेगा। पांच उड़ानें बुडापेस्ट से, दो रेजजो से और चार सुसेवा से चलेंगी। चार सी-17 विमान रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया के लिए निकल चुके हैं, जिनके देर रात या फिर कल सुबह पहुंचने की उम्मीद है।

यूक्रेन से अभी तक 17,000 भारतीयों को निकाला गया

नईदिल्ली(आरएनएस)। सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से दाखिल उस प्रतिवेदन पर शुक्रवार को गौर किया, जिसमें उसने कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 17,000 भारतीयों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल के बेंगलुरु निवासी फातिमा अहाना और कई अन्य मेडिकल छात्रों को निकालने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। रूस की 24 फरवरी को सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये लोग रोमानिया सीमा के पास फंसे हुए थे। वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 17,000 भारतीयों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है। पीठ ने कहा, 'हम केन्द्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। अभी उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चिंतित भी हैं। पीठ ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों और अन्य लोगों को निकालने के लिए दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केन्द्र से कहा कि वह फंसे हुए लोगों के परिवारों के लिए एक 'हेल्पडेस्क स्थापित करने पर विचार करे।

यूक्रेनी सेना ने 3000 भारतीय छात्रों को बनाया बंधक,पुतिन ने पड़ोसी देशों को दी चेतावनी : रूसी मीडिया का दावा

कीव। रूस और यूक्रेन के बीचजारी जंग का आज 9वां दिन है। आज यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी पहले हमला और फिर कब्जा हुआ। यूक्रेनी राज्य परमाणु कंपनी का कहना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर रूसी हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, वहीं सैनिकों 2 घायल गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी कीव के पास मौजूद बूचा शहर को यूक्रेनी सेना ने फिर कब्जा लिया है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेनी सेना आम लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पुतिन का यह दावा भी है कि यूक्रेनी सेना ने 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है और उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा जबकि रूसी सैनिक विदेशियों को निकालने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि वह रूस पर और प्रतिबंध लगाकर स्थिति की गंभीरता को और न बढ़ाएं।

भागलपुर में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 10 लोगों की मौत : दो इमारतें पूरी तरह जमींदोज

भागलपुर (आरएनएस)। बिहार के भागलपुर जिले में एक मकान के अंदर हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि इस मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार चल रहा था।

भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि यह विस्फोट कस्बे के काजबलीचक इलाके में महेंद्र मंडल नामक एक व्यक्ति के घर के भीतर शुक्रवार को सुबह हुआ।

डीएम के मुताबिक, विस्फोट के प्रभाव से महेंद्र मंडल के घर के अलावा आसपास की दो इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गईं। धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। मलबा हटाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों को मंगवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से नमूने एकत्र कर

रही हैं। सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक, घटनास्थल से अब तक कुल 10 लोगों के शवों को बरामद किया गया है, जिनकी पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। विस्फोट में घायल नौ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डीएम ने बताया कि मंडल पहले भी पटाखों के अवैध निर्माण में शामिल रहा है, और 2008 में उसके घर में इसी तरह के एक विस्फोट में उसकी पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी।

रेल मंत्री वैष्णव की मौजूदगी में कवच तकनीक का हुआ सफल परीक्षण

हैदराबाद (आरएनएस)। भारतीय रेलवे ने आज आधुनिक तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक ट्रेनों के आमने-सामने आने की स्थिति में उनकी टक्कर को रोकने का काम करेगी। शुक्रवार को सिकंद्राबाद में इस तकनीक का परीक्षण हुआ। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन के इंजन पर सवार थे। इसके अलावा दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत विभाग के दूसरे अधिकारी थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इस अनोखे परीक्षण के वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। परीक्षण के दौरान जिस ट्रेन में रेल मंत्री सवार थे, वह सामने से आ रही गाड़ी से 380 मीटर पहले ही रुक गई। दरअसल कवच

तकनीक के चलते ऐसा हुआ और ट्रेन में अपने आप ही ब्रेक लग गए। यह एक सेंसर तकनीक है, जिसके जरिए आमने-सामने ट्रेन के आने पर गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। रेलवे ने हादसों को टालने के लिए इसकी शुरुआत की है। रेल मंत्री द्वारा एक मिनट का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लोकोपायलट वाले केबिन में रेल मंत्री समेत अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, रियर-एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा है। कवच ने अन्य लोको से 380 मीटर पहले लोको को स्वचालित रूप से रोक दिया। बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार कवच तकनीक पर काम कर रही थी, जिसके तहत वह भविष्य में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इसी के तहत शुक्रवार को यह परीक्षण किया गया।

रेलवे मंत्री ने कहा कि यह तकनीक पूरी तरह से भारत में ही विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को उच्चतम स्तर के सुरक्षा मानकों के तहत प्रमाणितकिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि इस तकनीक को हम पूरे रेलवे सिस्टम में लागू करेंगे। उनका कहना था कि इस तकनीक को तेजी से भारत में लागू किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे देशों को भी यह तकनीक बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2000 किलोमीटर ट्रैक पर इसे लगाने वाले हैं। इसके बाद हर साल 4 से 5 हजार किलोमीटर के रूट पर इस तकनीक को लगाया जाएगा।

धमधा ओवरब्रिज से नीचे गिरी ट्रक, मौके पर 4 की मौत

दुर्ग (आरएनएस)। छत्तीशगढ़ के दुर्ग शहर में धमधा नाका स्थित राजीव गांधी ओवरब्रिज से ट्रक नीचे गिरा जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। यह जिला प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। जोगी कांग्रेस के नेता डी प्रकाश इस मुद्दे को लेकर की बार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था किन्तु प्रशासन इस डिश में कोई ध्यान नही दिए। लगातार मांग के बावजूद ना पुलिया का संधारण किया जा रहा है और ना ही सुरक्षा के कोई उपाय ! शुक्रवार की देर रात दुर्ग के धमधा नाका स्थित राजीव गांधी सेतु से एक ट्रक से ब्रिज के नीचे गिर गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बता दे कि लगातार जिला प्रशासन को सडक़ और फुटपाथ का अंतर खत्म होने की शिकायत की जाती रही परंतु जिला प्रशासन की लापरवाही पूर्ण कार्यशैली के चलते फिर मौत का तांडव देखने को मिला, राजीव गांधी सेतु इंसानी खून से लाल हो चुका है। बताया जा

रहा है कि शुक्रवार की रात 12:30 बजे जब बाइक सवार जिसमे तीन लीग सवार थे,धमधा मार्ग की ओर फ्लाईओवर से जा रहे थे और दूसरी ओर धमधा से दुर्ग की ओर आ रहे ट्रक से बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार और ट्रक दोनों ही फ्लाईओवर से नीचे गिर गए और नीचे खड़े वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया जिसमे 4 लोगो की मौके पर ही मौत हो गई।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सडक़ दुर्घटना में मरने वाले सभी चार युवक तकिया पारा दुर्ग के रहने वाले हैं। फिलहाल इसे यातायात विभाग की लापरवाही कहें या पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही? जिसके कारण आए दिन पुल पर दुर्घटना देखने को मिल रही है। दरअसल पुल इतना सकरा है कि दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को आवागमन में काफी तकलीफ होती है और हमेशा ही पुल पर जाम की स्थिति बन जाती है। जिसका नतीजा दुर्घटना के तौर पर आए दिन देखने को मिल रहा है।

प्रशासन तत्काल प्राथमिकता से सेतु की संधारण व सुरक्षा के उपाय बढ़ाएं अन्यथा प्रशासन को विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी! खामियों से भरा हुआ यह सेतु लगातार दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहा है ! जिसकी पूरी जवाबदारी लोक निर्माण विभाग दुर्ग एवं जिला प्रशासन, यातायात विभाग की है! प्रशासन इसे गंभीरता से लें अन्यथा दूरगामी नतीजे बहुत दुखदाई होगे, जहां अंडर ब्रिज निर्माण की गति धीमी है वही खतरनाक ओवर ब्रिज से लोगों को दोहरी खतरनाक स्थितियों से सामना करने मजबूर होना पड़ रहा है! जिसका तीजा यह है कि शुक्रवार को पूल पर 1 और दुर्व्हटना हो गई जिसमे ट्रक पूल के नीचे जा गिरा और ट्रक में सवार 4 लोगों की मौत हो गई।

बिना मंजूरी जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई , मेघालय सरकार ने लिया फैसला

शिलांग (आरएनएस)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित मेघालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। इससे पहले मिजोरम और गैर-राजग शासित सात राज्यों-महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।

मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा साझेदार है जहां नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने समिति को बताया कि इन आठ राज्यों में अनेक मामलों में जांच के लिए 150 अनुरोध लंबित हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें बैंक धोखाधड़ी, जालसाजी और धन के गबन से संबंधित मामले शामिल हैं।

सीबीआई के निदेशक सुबोध जायसवाल और एजेंसी के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि व न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। समिति के सूत्रों ने कहा कि जब कुछ सदस्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस लेने के बारे में पूछा तो एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि अब तक नौ राज्यों ने आम सहमति वापस ली है, जिनमें सबसे ताजा मामला मेघालय का है।

सुप्रीम कोर्ट मंत्री पुत्र आशीष की जमानत के खिलाफ अपील पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा

❐ लखीमपुर खीरी हिंसा

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा। आरोपी आशीष भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है।

शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने शुक्रवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के विशेष उल्लेख पर कहा कि वह इस अपील पर 11 मार्च को सुनवाई कर सकते हैं। श्री भूषण ने इस मामले को अत्यावश्यक बताते हुए खंडपीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी।

मृतक किसानों के परिजनों का नेतृत्व कर रहे जगजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण ने फरवरी में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष को जमानत दिए जाने को कानूनी प्रक्रिया एवं अन्याय की अनदेखी करार दिया है। इससे पहले, अधिवक्ता सी एस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को कथित रूप से आशीष की कार से कुचलकर चार

किसानों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भडक़ी हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा एक कार चालक एवं एक पत्रकार की मृत्यु हो गई थी।

तीन अक्टूबर 2021 को हुई इस घटना के मामले में श्री पांडा एवं श्री त्रिपाठी ने जनहित याचिका के साथ पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था। किसानों के परिजनों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी के अपने आदेश में आशीष को जमानत देने में अनुचित और मनमाने ढंग से विवेक का प्रयोग किया।

किसानों के परिजनों की याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें कई आवश्यक दस्तावेज उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने से रोका गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके वकील को 18 जनवरी 2022 को वर्चुअल सुनवाई से तकनीकी कारणों से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और इस संबंध में अदालत के कर्मचारियों को बार-बार कॉल कर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था। इस तरह से मृतक किसानों के परिजनों की याचिका प्रभावी सुनवाई किए बिना खारिज कर दी गई थी।

जगजीत सिंह के नेतृत्व में दायर याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की वजहों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आशीष की जमानत के खिलाफ अपील दायर नहीं करना भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उसी दल की सरकार है, जिस दल की सरकार में आरोपी आशीष के पिता अजय मिश्रा मंत्री हैं। याचिका में कहा गया है कि शायद इसी वजह से राज्य सरकार ने आशीष की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर नहीं की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय अपराध की जघन्य प्रकृति पर विचार करने में विफल रहा। उनका कहना है कि गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति उसके न्याय से भागने, अपराध को दोहराने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ और न्याय के रास्ते में बाधा डालने की संभावनाओं से भरा पड़ा है।

गौरतलब है कि आशीष को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल नौ अक्टूबर को तीन अक्टूबर की हिंसक घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। फरवरी में वह जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी के एक कार्यक्रम के विरोध के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी।